# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–34 / 2022(जीसीएमएस नम्बर 2022 / 34)

1. श्रीमती नारायणी पत्नी श्री कन्हैयालाल पुत्री गंगोल्या, जाति माली, निवासी रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा (फौत)
   1 / 1. झालूराम पुत्र श्रीमती नारायणी एवं कन्हैयालाल, जाति माली, निवासी ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी ग्राम कालाखों तहसील व जिला दौसा

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा (फौत)
   1 / 1. संतोष कुमार पुत्र स्व. रामजीलाल,
   1 / 2. सुरेशचन्द पुत्र स्व. रामजीलाल,
   1 / 3. रामखिलाडी पुत्र स्व. रामजीलाल,
   1 / 4. किशोरीलाल पुत्र स्व. रामजीलाल,
   1 / 5. लल्लूलाल पुत्र स्व. रामजीलाल,
   1 / 6. कौशल्या पुत्री स्व. रामजीलाल, समस्त जाति माली निवासी ग्राम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत गीजगढ़ तहसील सिकराय, जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. तहसीलदार एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक कुमार जोशी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री के.पी.सिंह एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 / 1 से 1 / 6 की ओर से

दिनांकः– 16.07.2024

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2009 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया ने दिनांक 21.11.2007 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय के गंगोल्या पुत्र मूल्या जाति माली की मृत्यु आज से करीब 33 वर्ष पूर्व हो गई है। मृत्यु के समय उसकी कोई जायन्दा या दत्तक पुत्र नही था उसकी मृत्यु के समय एकमात्र जीवित वैध वारिस अपीलार्थीया ही थी किन्तु विपक्षी संख्या 1 जो कि नारायण का लड़का है, उसने बेईमानी एवं कपटपूर्ण तरीके से हल्का पटवारी एवं तत्कालीन सरपंच से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मृतक गंगोल्या का दत्तक पुत्र बनकर अपीलाधीन प्रस्ताव संख्या 9 बिना अपीलार्थीया को सूचना दिये चुपचाप तरीके से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन कर अपने नाम कराया लिया जो सरासर गलत, अवैध एवं अन्यायपूर्ण है तथा अपीलार्थीया को उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उन्होने नामान्तरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलार्थीया ने अपील मीमों में यह भी उल्लेख किया कि उसे विवादगस्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 03.11.2007 को हुई तथा अपीलार्थीया ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी संलग्न प्रस्तुत किया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे जाकर विधि विरूद्ध, असंवैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित दिनांक 05.06.2009 को अपीलार्थीया की अपील केवल मात्र अवधि पार होने के आधार पर खारिज फरमा दी गई तथा यह उल्लेख किया कि लगभग 28 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील पोषणीय नही है और यह संभव ही नही है कि इस बात की जानकारी इतने समय के पश्चात् मिली हो।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र मियाद के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज करने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीया मृतक गंगोल्या की एकमात्र वारिस है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की सूची में वर्णित प्रथम श्रेणी की वारिस है। नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार के वारिस के सम्बन्ध में एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नही की गई, ग्राम पंचायत ने दिनांक 30.07.1979 को प्रस्ताव संख्या 9 पारित कर नामान्तरकरण संख्या 964 व 965 राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थीया को दिनांक 03.11.2007 को हुई। तत्पश्चात् अपीलार्थीया ने नामान्तरकरण संख्या 964 व 965 की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 21.11.2007 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि चूँकि अपीलार्थीया ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकार नही थी ऐसी स्थिति में आलौच्य नामान्तरकरण की ज्ञान होने की तिथि से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी तथा विधि का यह सुस्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहॉ बिना क्षेत्राधिकार के वोईड आदेश पारित किया जाता है उसे अपास्त किये जाने हेतु किसी भी समय अपील प्रस्तुत की जा सकती है और ऐसे मामलों में मियाद का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे ही अपीलाधीन आदेश दिनाक 05.06.2009 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदेश दिनांक 05.06.2009 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/6 ने कथन किया है कि अपीलार्थी

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/6 के मध्य नामान्तरकरण संख्या 964 व 965 की कृषि भूमि वाके रामा मौजा गीजगढ तहसील सिकराय के विवाद की अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है तथा उक्त अपील के पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान ने आपस में मिल बैठकर घरेलू तौर से राजीनामा कर लिया है। अब हम दोनों पक्षकारान के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित हो चुके है और अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नही रहा है तथा उक्त अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 964 व 965 वाके ग्राम गीजगढ बउनवानी नारायणी बनाम रामजीलाल का प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा समझौता सहमति पत्र के आधार पर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण अपीलान्ट नारायणी पत्नि कन्हैयालाल (मृतक) के कायम मुकाम वारिस झालूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी कालाखों तहसील दौसा हाल निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा के हक में निस्तरण किये जाने में हम प्रथम पक्षगण (रेस्पोडेन्ट) की पूर्ण सहमति है। इसमें हम प्रथम पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं ऐतराज नही है। भविष्य में हम प्रथम पक्षकारान उक्त वर्णित विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में किसी भी भॉति का मुकदमा नही करने हेतू पूर्ण बाध्य एवं पाबन्द होंगें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2009 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2009 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 964 व 965 दिनांक 30.07.1979 के विरूद्ध दिनांक 20.01.2007 को प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई। उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 17.08.2009 को अदम हाजरी व आदम पैरवी में खारिज की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 18.08.2010 को राशि 200/–दो सौ रूपये की कोस्ट लगाकर स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत होने पर मण्डल द्वारा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विस्तृत विश्लेषण पश्चात् तदानुसार समयावधि के सम्बन्ध में विधि सम्मत सुस्पष्ट (Speaking) एवं सकारण (Reasoned) आदेश पारित करने हेतु निर्देश आदेश दिनांक 22.09.2010 को जारी किये गये। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश की पालना में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा निर्णय दिनांक 19.04.2011 के माध्यम से बाजदायरी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया गया जिसकी पुनः निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.11.2021 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2011 को निरस्त कर बाजदायरी प्रार्थना मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय का राशि 1000/–एक हजार रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गाया तथा दोनों पक्षों को दिनांक 24.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर) के समक्ष हाजिर होने के निर्देश जारी किये गये।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 05.06.2009 के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस उद्वरित तर्को व तथ्यों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.06.2009 में अपील को मात्र यह अंकित करते हुये खारिज किया गया है कि प्रकरण 28 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त लम्बी अवधि के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त कारण पेश नही किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.06.2009 में विलम्ब के कारणों का कोई उल्लेख नही है तथा ना ही कारणों के विवरणात्मक विवेचना उपलब्ध है। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/6 की ओर से प्रस्तुत इकरारनामा सहमति पत्र (समझौता) की प्रस्तुत छाया प्रति के अवलोकन से यह भी विदित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान द्वारा आपसी समझोते के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कराना चाह रहे है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिस कौशल्या के उक्त इकरारनामे में हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिसके कारण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत इकरारनामें को ग्रहण किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। उनवानी एक अन्य प्रकरण में भी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 7.11.2008 के निर्णय द्वारा विलम्ब को क्षमा किया गया है। प्रकरण में विलम्ब हेतु दर्शित कारणों पर चिंतन, मनन कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त तथ्यों के आलौक में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2009 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि विलम्ब के सम्बन्ध में दर्शित प्रत्येक कारण का विवेचन कर तथा अपील के तथ्यों पर गौर करने के पश्चात पुनः विधि सम्मत सुस्पष्ट (Speaking) एवं सकारण (Reasoned) आदेश पारित किया जावें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।